

2025/649

14/10/25
27/11/25
17/12/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

गोरधन सिंह बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण
किस्म मुकदमा इजराय (11) मु.नं. 24 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
25/08/25	<p>वकील प्रार्थी/डिक्रीदार द्वारा इजराय पालना हेतु न्यायालय में पेश किया गया। इजराय प्रा.पत्र का अवलोकन किया। इजराय हस्तगत न्यायालय के दावा मु.सं. 43A/2025 बचनवान गोरधन सिंह बनाम कैलाश कंवर आदि में निर्णय डिक्री दिनांक 21.08.2025 की पालना के संबंध में है।</p> <p>अतः प्रकरण इजराय दर्ज रजिस्टर होकर पालना हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 25.09.2025 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी धौद, जिला सीकर</p>
25/09/25	<p>पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त, यात्रा पर/अन्य काय में व्यस्त है। पत्रावली पूरे आदेशानुसार दिनांक 14/10/25 को पेश हो</p>
14/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी डिडीदाउ उप. पत्रावली वास्तु ई. रिपोर्ट डि. 27/11/25 को पेश हो</p>
27/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी डिडीदाउ उप. पत्रावली वास्तु ई. रिपोर्ट डि. 17/12/25 को पेश हो</p>
17/12/25	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी डिडीदाउ उप. प्रकरण इजराय में वर्णित निर्णय व डिडी की पालना के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक भू.अ. 25/4186 डि. 17/12/25 के दावा पालना की भांति पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः हस्तगत इजराय में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से हस्तगत पत्रावली की कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली कैसल शुमाड होकर बाह तहसीलदाखिल कफत है।</p>



उपखण्ड अधिकारी
धौद जिला-सीकर

